

प्रेस-विज्ञप्ति
थाना-सिधारी

शादी का झांसा देकर लड़की को बहला फूसला कर भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना – दिनांक 23.05.2021 को अपहृता लड़की के पिता ने लिखित तहरीर दिया कि मेरी नाबालिक लड़की को दि० 12.5.2021 की मध्य रात्रि मे गांव के ही लड़के ने मेरी पुत्री को शादी का लालच दे कर बहला फूसला कर भगा ले गया। वादी मुकदमा के लिखित तहरीर के आधार पर मु०अ०स० 101/2021 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत कर अपहृता लड़की की बरामदगी हेतु टीम गठित की गयी जिसके क्रम में दिनांक 02.06.2021 को लड़की की बरामदगी की गयी।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा जनपद मे चलाये जा रहे अभियान अपहृता की बरामदगी अपहरणकर्ता की गिरफ्तारी विषयक के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी नगर निष्ठा उपाध्याय के कुशल निर्देशन में उ०नि० जाफर खान मय हमराही के साथ खाना होकर अपहरणकर्ता की गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही थी इसी क्रम में दिनांक 04.06.21 को उ०नि० जाफर खान मय हमराह के शाहगढ़ बाजार मे मौजूद थे कि विश्वस सूत्रो से पता चला कि मु०अ०स०-101/21 का वांछित अभियुक्त बैठौली पेट्रोलपम्प के सामने खड़ा है। इस सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए उ०नि० मय हमराही के बैठौली पेट्रोल पम्प के पास पहुंचे तो अभियुक्त पुलिस बल को देखकर भागने लगा तभी अभियुक्त को बैठौली पेट्रोल पम्प के पास समय 10.00 बजे शाहगढ़ बाजार से गिरफ्तार किया गया। नाम पता पूछने पर अपना नाम सनोज उर्फ लुककी कन्नौजिया पुत्र स्व० कोदई निवासी जयरामपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ बताया। अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभि० सनोज उर्फ लुककी कन्नौजिया पुत्र स्व० कोदई सा० जयरामपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ से कड़ाई से पूछताछ करने पर बताए कि मैं लड़की से बात करता था शादी करने के लिये मैं उसे भगा कर ले गया था।

पंजीकृत अभियोग

मु०अ०सं०-101/2021 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

सनोज उर्फ लुककी कन्नौजिया पुत्र स्व० कोदई सा० जयरामपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. उ०नि० जाफर खान थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।
2. का० अरविन्द चौबे थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

थाना-जहानागंज

लड़की को बहला-फूसला कर भगा ले जाने के मामले में एक नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 15.03.2021 थाना जहानागंज क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने थाने पर शिकायत दर्ज करायी कि मेरे लड़की को अफरोज पुत्र निजामुद्दीन निवासी कनैला थाना जहानागंज तथा कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा बहला-फूसला भगा ले जाने के सम्बन्ध में पर थाना स्थानीय मे मु०अ०स० 52/2021 धारा 363/366 बनाम अफरोज पुत्र निजामुद्दीन निवासी कनैला थाना जहानागंज आजमगढ़ आदि 7 नफर अभियुक्त के पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित ,ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम मे दिनांक 04.06.2021 को उ०नि० मनीष कुमार उपाध्याय मय हमराह द्वारा मु०अ०स० 52/2021 धारा 363/366 भादवि से सम्बन्धित

वांछित अभियुक्त तनवीर पुत्र नवी ग्राम बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ को उसके घर से समय करीब 9.30 बजे गिरफ्तार किया। अभियुक्त को उसके अपराध से बोध कराते हुए चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0स0 52/2021 धारा 363/366 भादवि थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

तनवीर पुत्र नवी ग्राम बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

- 1- उ0नि0 मनीष कुमार उपाध्याय थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।
- 2- हो0का0 सहदेव थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।
- 3- का0 ओमकार मौर्या थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

थाना-मेहनाजपुर

7 किग्रा 250 ग्राम गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन में दिनांक 03.06.2021 को प्रभारी निरीक्षक मेहनाजपुर अरविन्द कुमार पाण्डेय मय हमराह द्वारा वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी में कस्बा नरानपुर में मौजूद थे उसी दौरान मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति एक बोरी में गांजा लेकर ग्राम नारायनपुर में प्रवेश किया है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मय हमराह द्वारा मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचकर कुछ आगे बढ़े तो देखा कि एक व्यक्ति पीठ पर एक प्लास्टिक की बोरी लिए जाते दिखायी दिये पास पहुंचकर रुकने का इशारा करने पर पुलिस बल को देखकर बोरा गिराकर भागने का प्रयास किया कि पुलिस बल द्वारा घेरकर अनील सिंह के ट्यूबवेल के पास समय 15.55 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम नीरज सिंह पुत्र अशोक सिंह निवासी ग्राम नारायनपुर थाना मेहनाजपुर जिला आजमगढ़ बताया। भागने का कारण पुछने पर बताया कि बोरी में गांजा होने के कारण पकड़े जाने के डर से भागने लगा। मौके से बोरे में कुल 7 kg 250 gm अवैध गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-51/2021 धारा 8/20 NDPS Act पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त

नीरज सिंह पुत्र अशोक सिंह निवासी ग्राम नारायनपुर थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0- 51/2021 धारा 8/20 NDPS Act थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी

7 Kg 2.50 gm अवैध गांजा

गिरफ्तारी /बरामदगी करने वाली टीम

1. प्र0नि0 मेहनाजपुर अरविन्द कुमार पाण्डेय मय हमराह थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0 सुधीर पाण्डेय मय हमराह थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

थाना अतरौलिया

गोवंशिय पशुओ के वाहनो को पास कराने का काम करने वाले 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, एक अदद स्कार्पियो

सफेद रंग की जिसमे आगे व पीछे भिन्न-भिन्न रजि0 नम्बर की प्लेट लगी हुई बरामद

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित, अवैध शराब बिक्री के अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर महेन्द्र कुमार शुक्ला व प्रभारी निरीक्षक पंकज पाण्डेय अतरौलिया आजमगढ़ के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 04.06.2021 को उ0नि0 लाल बहादुर बिन्द मय हमराह का0 हरिभान सिंह यादव, रि0का0 सन्दीप कुमार सिंह के बिनावर देखभाल क्षेत्र चेकिंग सन्दिध वाहन सन्दिध व्यक्ति व रात्रि गस्त में बूढ़नपुर चौराहे पर मौजूद थे कि उ0नि0 राम किशोर शर्मा मय हमराह का0 रमाकान्त गुप्ता व का0 जाफर हुसैन के बूढ़नपुर चौराहे पर मिले। पुलिस टीम आपस में अपराध एवं अपराधियों के सम्बन्ध में एक दूसरे से वार्ता कर रहे थे कि जरीये मुखबीर खास सूचना मिली की एक सफेद रंग की स्कार्पियो गाड़ी बूढ़नपुर पेट्रोल पम्प के पास सड़क के किनारे खड़ी है जिसका आगे व पीछे का रजिस्ट्रेशन नं0 भिन्न-भिन्न है, मुझे आशंका है कि किसी अपराध की घटना को अंजाम देने के लिए खड़े है। मौजूद समस्त पुलिस बल उपरोक्त को साथ लेकर अलग अलग मोटर साईकिलो से तत्काल मौके से प्रस्थान कर बूढ़नपुर पेट्रोल पम्प के नजदीक पहुंचे। पुलिस टीम बताई गई स्कार्पियो के नजदीक पहुंचकर अपनी-अपनी मो0सा0 सड़क किनारे खड़ी करके तेज कदमों से चल कर स्कार्पियो गाड़ी के पास पहुंच कर उसमें बैठे हुए व्यक्तियों को नीचे उतारे तभी सड़क पकड़ कर पूर्व दिशा की तरफ भागने लगे कि सन्देह होने पर हमराही कर्मचारी गण की मदद से करीब 50 कदम जाते -जाते दौड़ा कर घेर कर दोनों को पकड़ लिया गया। पकड़े गये दोनों व्यक्तियों ने अपना नाम क्रमशः : 1. रोहित यादव पुत्र लाल बहादुर यादव R/O कोहड़ा थाना शाहगंज जनपद जौनपुर उम्र करीब 24 वर्ष 2. राम बूझ यादव पुत्र ज्ञानप्रकाश यादव R/O कोहड़ा थाना शाहगंज जनपद जौनपुर उम्र करीब 22 वर्ष बताया। दोनों ने बताया कि साहब हम लोग वध हेतु ले जाये जाने वाले गोवंशिय पशुओ के वाहनो को पुलिस को गुमराह करके पास कराने का काम करते है इसके लिए हम लोगो ने अपने दोस्त विपिन यादव S/O रमेश यादव निवासी मलहज थाना शाहगंज जनपद जौनपुर से अपने नीजी कार्य हेतु यह स्कार्पियो गाड़ी मांगी थे जिसका सही नम्बर आगे वाला UP33 AT6039 है किन्तु रास्ते में वाहन के पीछे का नम्बर प्लेट बदल कर UP33 BT 3960 का नम्बर प्लेट लगा दिये जिससे पुलिस वाले भ्रमित हो जाय और हम लोग पकड़े न जाय और अपने कार्य में सफल हो जाय पुनः कड़ाई से पूछताछ किया गया तो बताये कि साहब दिनांक 02.06.2021 को हम लोगो ने एक ट्रक गोवंश पुलिस को गुमराह कर बूढ़नपुर से पास कराये थे किन्तु दुर्भाग्य से वह ट्रक थाना कन्धरापुर पुलिस के द्वारा पकड़ ली गई थी। हम लोग आज भी पुलिस को गुमराह कर गोवंशीय वध हेतु जाने वाले ट्रक को पास कराने के लिए यहा पर खड़े थे कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया। अपराध का बोध कराते हुए समय 02.00 बजे अभियुक्तगण रोहित यादव व रामबूझ यादव उपरोक्त को हिरासत पुलिस लिया गया। जामा तलाशी ली गई तो अभि0 रोहित यादव की पैन्ट की जेब से दो अदद मोबाइल एक टच स्क्रीन सैमसंग व एक की पैड जिस पर SNEXIAM GURU लिखा है तथा एक अदद 500 रुपये की नोट बरामद हुई तथा अभियुक्त रामबूझ यादव के पैन्ट की जेब से एक अदद टच स्क्रीन मोबाइल फोन जिस पर पीछे OPPO लिखा है तथा स्क्रीन गार्ड टूटा हुआ है तथा 500/- रुपये की एक नोट बरामद हुआ जिसे कब्जा पुलिस में लिया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 88/2021 धारा 419/420/467/468/471 IPC थानाअतरौलिया जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. रोहित यादव पुत्र लाल बहादुर यादव R/O कोहड़ा थाना शाहगंज जनपद जौनपुर उम्र करीब 24 वर्ष
2. राम बूझ यादव पुत्र ज्ञानप्रकाश यादव R/O कोहड़ा थाना शाहगंज जनपद जौनपुर उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी-

एक अदद स्कार्पियो सफेद रंग की

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 लाल बहादुर बिन्द प्रभारी चौकी बूढ़नपुर मय हमराह का0 हरिभान सिंह यादव, रि0का0 सन्दीप कुमार सिंह व उ0नि0 श्री राम किशोर शर्मा मय हमराह का0 रमाकान्त गुप्ता व का0 जाफर हुसैन

थाना निजामाबाद

चोरी के अभियोग में प्रकाश में आये 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 31.01.2021 को वादी संतोष कुमार गुप्ता पुत्र स्व० सत्यनारायण गुप्ता साकिन हुसैनाबाद थाना निजामाबाद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 30.01.21 की रात्रि में दुकान में हुये चोरी के सम्बन्ध में धारा 457,380 भादवि बनाम अज्ञात व दिनांक 13.01.21 को वादी श्रीराम शर्मा पुत्र स्व० रामहित साकिनबघौरा इनामपुर फरिहा बाजार थाना निजामाबाद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 10.01.21 को घर का ताला तोड़कर हुये चोरी के संबंध में धारा 457,380 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़ बनाम अज्ञात व दिनांक 06.02.21 को वादी उ०नि० रत्नेश कुमार दूबे द्वारा बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 27/21 धारा 401,411 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़ बनाम 1. सिद्धू चौहान पुत्रहरिश्चन्द्र चौहानसाकिन इटौरा जेल के पास ग्राम संमेदा थाना सिधारी आजमगढ़ 2. विपिन कुमार पुत्र शेखराज 3. विनोद कुमार पुत्र दुःखहरनसाकिनान सादीसराय थाना सिधारी आजमगढ़ 4. गुड्डू साहनी पुत्र रामचरन साहनी साकिन मड़या थाना कोतवाली पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा थाना स्थानीय पर दर्ज चोरी के मुकदमें के अनावरण हेतु निर्देश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व प्रभारी थाना निजामाबाद के कुशल नेतृत्व में उ०नि० मोतीलाल पटेल मय हमराहीयान व उ०नि० रहीमुद्दीन बाद मुकदमा उपरोक्त मे साक्ष्य संकलन से दो नफर अभियुक्तगण 1. विपिन कुमार पुत्र शेखराज 2. विनोद कुमार पुत्र दुःखहरन साकिनान सादीसराय थाना सिधारी आजमगढ़ को मुखबिर खास की सूचना पर वहदग्राम डोडोपुर से समय 10.15 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछने पर बता रहा है कि साहब हम लोग एक साथ होकर रात में जगह जगह पर चोरी करते है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु०अ०सं०- 10/21 धारा-457,380,411भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़
2. मु०अ०सं०- 22/21 धारा-457,380,411भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़
3. मु०अ०सं०- 27/21 धारा-401भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. विपिन कुमार पुत्र शेखराज साकिन सादीसराय थाना सिधारी आजमगढ़
2. विनोद कुमार पुत्र दुःखहरन साकिन सादीसराय थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ०नि० मोतीलाल पटेल मय हमराह थाना निजामाबाद, आमजगढ़
2. उ०नि० रहीमुद्दीन थाना निजामाबाद आजमगढ़

थाना बिलरियागंज

गैग्रेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित,ईनामिया,गैग्रेस्टर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान क दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 04.06.2021 को थानाध्यक्ष बिलरियागंज धर्मेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के दृष्टिगत जैगहा बाजार में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की मु० अ०सं० 83/2021 धारा 3(1) उ०प्र० गैग्रेस्टर एक्ट थाना बिलरियागंज आजमगढ़ का वांछित अभियुक्त बेलाल पुत्र अनवर सा० नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ अपने घर पर मौजूद हैं । इस सूचना पर थानाध्यक्ष मय हमराहीयान के प्रस्थान कर ग्राम नसीरपुर में अभि० बेलाल के घर पर पहुँचे कि अभि० अपने दरवाजे पर

मौजूद मिला । जिसे कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 05.10 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0-83/2021 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

बेलाल पुत्र अनवर सा0 नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1-थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार सिंहथाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

2-हे0का0 उपेन्द्र यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

3-का0 प्रमोद यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

4-का0 संजीव सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

5-का0 रवि प्रभाकर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

6-म0का0 शिवानी मिश्र थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल

38 व्यक्तियों के विरूद्ध 151

सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है।